जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 57 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.79346 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 18.09.2025 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 (गुरूवार) को दोपहर 12:15 बजे, स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/2229 दिनांक 01.08.2025 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–सीकर/एसआईके– पीएच–032/1143 – 1150 दिनांक 04.08.2025 के अनुपालना में मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 57 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.79346 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की क्लस्टर मय खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 18.09.2025 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **राष्ट्रदूत** के संस्करण में दिनांक 07.08.2025

एवं **पंजाब केसरी** के संस्करण में दिनांक 07.08.2025 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रंबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स परिवेश इन्वायरमेन्टल इन्जीनियरिंग सर्विसेज, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री मुजामील खान के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाए की जायेगी।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, सीकर एवं श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में

पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :-

1. दांताराम गुर्जर, ग्राम भुजा ने बताया कि प्लॉट में 58 से घर की दूरी 50 मीटर है वो नहीं बता रहे है एवं दूसरा मकान सवायचक भूमि पर है। लगभग 300 मीटर दूरी पर दीपावास बड़ा बांध है। दूसरा बांध 200 मीटर मोकलवास में है, 4 जोहड़ है नजदीक में, 400 से 500 गाय एवं नील गाय है जिनकी जीवन रेखा दोनो बांध पर निर्भर है, उनके आने – जाने का रास्ता भी नहीं रहेगा। दास की ढ़ाणी 300 मीटर है वो नहीं दिखा रहे है।
2. सुमेर सिंह जी गांव मोकलवास ने बताया कि मोकलवास ग्राम पंचायत है जो कि एक प्राचीन सभ्यता है। 1100 वर्ष से इस गांव में मेला लगता है। यदि यहां खनन पट्टा आवंटित किया जायेगा तो श्रदालुओं के आने-जाने के लिए रास्ता नहीं रहेगा। भैरू मन्दिर जो कि 100 मीटर पर है। 150 मीटर पर दास की ढ़ाणी की आबादी है, 02 एनिकट उक्त खसरे नम्बर पर है।
3. जितेन्द्र मीणा, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खातेदारी जमीन कलस्टर से 0 से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। खसरा नम्बर 971, 972, 973, 974, 975 एवं 978 है इस पर पुराना मोकलवास बसा हुआ है।
4. भवानी सिंह मीणा, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खसरा नम्बर 303 में खातेदारी जमीन पर राजकीय बिजली कनेक्शन है जिसपर खेती एवं पशुपालन कर रहे है।
5. नागरमल मीणा, ग्राम दास की ढ़ाणी ने बताया कि खसरा नम्बर 1152 में कुआँ, मकान और 02 जोहड़ बने हुए है। पशु भी यहां चरते है।
6. ओंकारमल पुत्र रामजीलाल, ग्राम मोकलवास ने बताया कि खसरा नम्बर 981/1152 में कई वर्षों से खेती, पशुपालन करते है।
7. श्री हरदान पुत्र श्रीराम, ग्राम भुजा ने बताया कि सवायचक में मेरी बसावट, पक्का मकान एवं बिजली कनेक्शन है।

सभी ग्रामवासियों ने कहां कि खनन कार्य यदि 300-400 फीट तक किया जायेगा तो गायों का कैसे आना-जाना होगा। ग्रामवासियों ने कहा कि पानी कहां से लेकर आवोगें, यहां

पर पहले से ही पानी की समस्या है जो कि डार्कजोन में आ रहा है। आस–पास के तालाब एवं नदियां खत्म हो जायेगी।

इसके पश्चात् इकाई प्रतिनिधि ने सभी ग्रामवासियों से अनुरोध किया कि आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य किया जायेगा। परन्तु सभी ग्रामवासियों ने इकाई प्रतिनिधि को बोलने का मौका नहीं दिया और उपस्थिति पंजिका पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। जबकि जन सुनवाई के दौरान लगभग 90 से 100 उपस्थित थे तथा जन सुनवाई का विरोध किया गया।

अन्य 05 प्रस्तावित खनन परियोजनाओं हेतु भी कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में जनसुनवाई दिनांक 18.09.2025 को आयोजित थी। प्रस्तावित खनन परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:–

1. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 53 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।
2. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 55 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.830 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) ।
3. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 56 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.6425 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 750000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।
4. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 54 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.5010 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 380000 टन प्रति वर्ष

(रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।

5. मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 58 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.099 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 350000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981 निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित सभी व्यक्तियों को बताया गया कि 05 अन्य प्रस्तावित खनन परियोजना संबंध में विस्तृत जानकारी खनन प्रतिनिधि द्वारा दी जानी है परन्तु उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि सभी जनसुनवाई में हमारे द्वारा दिए गए सुझाव आपत्ति समान ही रहेंगे एवं सभी प्रस्तावित खनन परियोजनाओं का विरोध करते है।

सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित लिखित में 04 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई।

जन सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना एवं क्षेत्रीय अधिकारी, सीकर द्वारा सभी ग्रामवासियों एवं इकाई प्रतिनिधि के सहयोग से कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास के परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा जन सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् सभी ग्रामवासियों को पौधों का वितरण किया गया।

अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नीमकाथाना

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स अन्हद मिनरेरियों प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 57, क्षेत्रफल 1.79346 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300000 टनप्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **18.09.2025 (गुरूवार)** को दोपहर **12:15** बजे, स्थान– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– राजीव गांधी सेवा **केन्द्र, मोकलवास,** तहसील **नीमकाथाना एवं जिला सीकर** ।

दिनांक :– 18.09.2025 **समय :– दोपहर 12.15 बजे (गुरूवार)**

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1	Sumer Singh meena	[signature]
	[illegible]	
	[illegible]	
	~~रत्याली राम गुर्जर~~	9079635020
–	संदीप मीणा	6378727278
	विशेष मीणा	7357998985
	Dinesh Kumar Jain	[signature]
	Bhagirath Shakh ADM NKT	[signature]
	Savita RO, RSPCB, Sikar	[signature]
	Abhishek Sharma, PI, Anhad Minerario Pvt Ltd	[signature]
	MUZAMMIL KHAN (Consultant) Parivesh Environmental Eng. Service	[signature]
	[illegible]	[signature]

प्रेषक:
समस्त ग्रामवासी
ग्राम — मोकलवास
पंचायत — मोकलवास
तहसील — नीमकाथाना
जिला — सीकर (राजस्थान)

प्रति,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
सीकर

—

विषय: ग्राम मोकलवास के निकट प्रस्तावित खनन परियोजना के विरुद्ध आपत्ति पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हमारे गाँव मोकलवास (खसरा नं. 1152/981) के पास खनन परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है और इसके संबंध में पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। हम समस्त ग्रामवासी इस परियोजना का पुरजोर विरोध करते हैं और निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज करवाना चाहते हैं:

1. स्वास्थ्य पर प्रभाव
खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली धूल और प्रदूषण से गाँव में अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी, जैसे — अस्थमा, टीबी, सिलिकोसिस, डस्ट एलर्जी एवं फेफड़ों के रोग। यह वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन है।

2. जल पर प्रभाव
प्रस्तावित खनन क्षेत्र गाँव की सिर्फ 200 मीटर दूरी पर है और गाँव के आसपास स्थित तालाब इसी खनन क्षेत्र की परिधि में आते हैं। साथ ही, दो बड़े बांध लगभग 400 मीटर दूरी पर हैं, जिनसे हमारे गाँव की पेयजल व सिंचाई की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। खनन से भूजल स्तर में गिरावट और तालाब व बांधों के प्रदूषित होने का गंभीर खतरा है। यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का सीधा उल्लंघन है।

3. कृषि पर प्रभाव
खनन से उड़ने वाली धूल खेतों की उपजाऊ भूमि पर जम जाएगी, जिससे उत्पादन घटेगा और किसानों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा EIA Notification, 2006 का उल्लंघन है।

4. पशुधन एवं जीव-जंतु पर प्रभाव

हमारे गाँव में लगभग 200-300 बकरियाँ व भेड़ें तथा 300-400 गायें इन्हीं चरागाह भूमि, तालाब व आसपास की हरियाली पर आश्रित हैं। यदि खनन हुआ तो चारे की भारी कमी होगी और दूषित पानी पीने से पशुओं में बीमारियाँ फैलेंगी। यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की भावना के विपरीत है।

5. निकटता एवं सांस्कृतिक/धार्मिक महत्व

खनन स्थल पर स्थित प्राचीन बेरूजी महाराज का मंदिर गाँव की आस्था एवं सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है। खनन कार्य से मंदिर की पवित्रता, शांति और संरचना पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह राजस्थान खनन नियम, 2017 तथा EIA Notification, 2006 की भावना के विपरीत है। मोकल मेंदल मन्दीर 200 प्रभावित

6. जनसुनवाई की अध्यक्षता संबंधी आपत्ति

चूंकि यह खनन परियोजना क्लस्टर योजना के अंतर्गत आती है, अतः इसकी जनसुनवाई की अध्यक्षता केवल माननीय जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी को करनी चाहिए। किसी कनिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कराना नियम व प्रक्रिया की गंभीर अवहेलना होगी।

अतः हम समस्त ग्रामवासी विनम्र निवेदन करते हैं कि उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति न दी जाए। यह परियोजना हमारे गाँव के स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेती, जल स्रोत और धार्मिक धरोहर के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी।

दिनांक: 18/09/2025

स्थान: ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर

भवदीय,

समस्त ग्रामवासी

ग्राम मोकलवास

किशोरी लाल मीणा 7976928650

जितेन्द्र मीणा 8000436186

[illegible] (9521417739)

[illegible] 9928572905

[illegible] मीणा 9950997898

जगदीश सिंह 9636108158

मोहन सिंह 9521134228

[illegible] मीणा 8290236393

सुरेन्द्र सिंह 9950956698

सरवण सिंह 9799814757

आलू मीणा 9587463737

हरराम गुर्जर 9461396461

रामस्वरूप 8769280478

[illegible] लाल मीणा 8769250336

इश्वर सिंह 9799160561

विक्रम सिंह 8302042716

नवीन मीणा 9680603099

रघुवीर सिंह 8690784137

[illegible] 9610036296

छगनलाल मीणा 9352539267

मुकेश मीणा 6378756630

शिवराम मीणा 8094551023

[illegible] RC LJ06 4277

जगदीश लाल मीणा
7852639153

9001560059

7340612217

9024479155
भोला राम मीणा

बजरंग लाल मीणा
9784609082

गोकल 9660767441

अ.नि.
छ्.स.मल मीणा

8890707920

महेन्द्र 9587314474

7597057812

महेन्द्र मीणा
हरि सिंह मीणा
8003663639

अ.नि. सरोज गुर्जर

सुभाष मीणा
8302567728

मदनलाल
9079635020 ख्याली राम

अ.नि. बनवारी गुर्जर

गणपत गुर्जर 9636116621

कस्तार मीणा - 7976677139

अ.नि. प्रभु गुर्जर

रामकुमार 9571271004

अ.नि. रुडमल

गोकल

मो. 9784974245

अ.नि. रामस्वरूप

7976798322

अ.नि. ओंकार

भोलाराम मीणा
9636083517

सेवा मे (2)

माननीय ADM महोदय जिला सीकर

तहसील - नीमकाथाना
जिला - सीकर (राजस्थान)

विषय : खनन परियोजना के निकट स्थित हमारी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु आवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे ग्राम मोकलवास मे एक खनन परियोजना स्थापित कि जा रही है। उक्त प्रस्तावित खनन स्थल हमारी खातेदारी भूमि के बिलकुल समीप स्थित है जिसकी दूरी माइनिंग क्षेत्र से 0से 10मिटर है। इस कारण हमे गम्भीर समस्याओं का सामना करने पड़ेगा।

1. खनन कार्य से उत्पन्न होने वाला धूल, प्रदूषण एवं कंपन हमारी भूमि के उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
2. खनन के कारण भूजल स्तर में गिरावट आयेगी।
3. खनन स्थल नजदीक होने के कारण हमारी खेती योग्य भूमि को दरारे पड़ने, बंजर होने एवं फसल उत्पादन मे कमी होने का डर है।
4. हमारी जमीन ही एकमात्र जिवनयापन का साधन है।

अत: आपसे निवेदन है कि हमारी खातेदारी भूमि के निकट खनन पट्टा/परियोजना की स्वीकृति प्रदान न की जाए तथा किसानो के अधिकार की रक्षा की जाए।

खसरा नम्बर. 971, 972, 973, 974, 975, 978, है

भवदीय

नाम सुन्दर लाल मीणा
पिता - रणजित मीणा
ग्राम - मोकलवास
पंचायत - मोकलवास

Naru Rao
9980454199
नवीन मीणा
7976998323
[illegible] मीणा
8301661210
रोहिताश मीणा
8890214014
संदीप मीणा
किरोड़ी लाल मीणा
7976928650.

सेवा में

श्रीमान ADM महोदय
जनसुनवाई प्रभारी ग्राम मोकलवास
जिला सीकर.

विषय : खनन परियोजना के निकट हमारी खातेदारी की जमीन व हमारा घर की सुरक्षा हेतु।

महोदय :-

निवेदन है कि हमारे ग्राम मोकलवास में एक खनन परियोजना स्थापित कि जा रही है उक्त प्रस्तावित खनन स्थल हमारी खातेदारी की जमीन व घर के समीप स्थित है जिसकी दूरी माइनिंग क्षेत्र से २०० से ४०० मीटर है इस कारण हमारी घर कि दिवारें टूट सकती है और हमारी जमीन की उपजाऊता खतम हो जायेगी.

1. खनन कार्य के दौरान होने वाले ब्लास्ट से घर कि दिवारें टूट सकती है
2. हमारी जमीनों कि उपजाऊ पन नष्ट हो जायेगी।
3. इससे दूर स्थित 300 मीटर १00000 लीटर पानी क्षमता वाला बांध है खनन कार्य से पानी प्रदूषित हो जायेगा. पानी कि कमी आ जायेगी।
4. हमारी खेती के अलावा अब हमारे पास कोई अन्य रोजगार नहीं है

खसरा संख्या. 434, 435

पिता - कुलदीप बद्री प्रसाद मीणा
नाम नवीन मीणा
सुभाष चन्द मीणा
रोहिताश मीणा
ओंकार लाल मीणा
ग्राम मोकलवास

[illegible]
9680405808

[illegible]
9950454199

जितेन्द्र मीणा
8000436186

सोनू मीणा

7852004517

रोहिताश मीणा
8890214074

सुरेश मीणा
8901661290

तरुण मीणा
9930106548

विशेष कुमार मीना
9352525934

संदीप मीणा
6378727278

राहुलसिंह
7073669804

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय,
जन सुनवाई प्रभारी ग्राम पंचायत
मोकलवास - तेह. नीमकाथाना सीकर 332705

(4)

विषय :- खसरा नं. 1137/303 के नजदीक हमारी कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना - पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है। कि प्रार्थी छुट्टीलाल मीना ग्राम मोकलवास का निवासी हूँ। हमारे पिताजी, प्रभाता राम s/o सुरज्या राम की जमीन खसरा नं. - 306, 308, 309, 310, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 360, 362, 364, 410 खाता संख्या नं. 84 में कृषि भूमि खसरा नं. 303, 304, 305 इसमें भी हम 150 साल से खेती कर रहे है, पशुपालन कर रहे है। इसकी चारों तरफ हमारी तरफ की और बाउण्डी है। इसमें कई नाले पहले सुव्यवस्थित मे दिखाकर के कुछ सरकार अपने अन्दर मे दिखा रहे है। और अब वहाँ लीज के लिए आवंटित कर दिया है। इसलिए श्रीमानजी से निवेदन हमारी खसरा की जमीन की माइनिंग और खान चलाने से उर्वरक क्षमता खराब और नष्ट होगी। जो कि खसरा नं. 303 के आस-पास है। आखिर पूरा परिवार और आस-पास के लोग जमीन से सब आक्रोश मे है, और इसमें आपत्ति है। इसके अलावा हमारे पास- कमाई का कोई साधन नहीं है। इसके ऊपर हम निर्भर है।

छुट्टीलाल मीना

प्रार्थी
नाम- छुट्टीलाल मीना
ग्राम - मोकलवास तह. नीमकाथाना
जिला- सीकर

6,3491

3मि
18-09-2025

[illegible]
9680405808
रोहिताश मीणा
8890214014
[illegible] मीणा
8901661200
सुभाष मीणा
8802567785
[illegible] मीणा
9950106548
विजय मीणा
9588231038
विशेष कुमार मीणा
9352525894

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)

ग्राम का नाम :- मोकलवास
पटवार हल्का :- मोकलवास
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- टोडा
तहसील :- नीम का थाना
जिला :- सीकर
काश्तकार का नाम :-

अतिम चौसला आधार संवत :- 2075 - 2078
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 84
खाता संख्या पुराना :- 82

अतिम चौसला आधार संवत :- 2075-2078
जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थापी

1. प्रभाता पुत्र सुरजा हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनॉक	टिप्पणी
306	0.2300	बारानी 2	0.2300	0.92			
308	0.0900	बारानी 2	0.0900	0.36			
309	0.5400	गै.मु.पटपड़	0.5400				
310	0.0600	बारानी 2	0.0600	0.24			
313	0.4200	बारानी 2	0.4200	1.68			
314	0.3500	बारानी 2	0.3500	1.40			
317	0.0300	बारानी 2	0.0300	0.12			
318	0.0200	बंजड़	0.0200	0.04			
319	0.0200	बारानी 2	0.0200	0.08			
320	0.0300	बारानी 2	0.0300	0.12			
322	0.0400	बारानी 2	0.0400	0.16			
323	0.0600	गै.मु.पटपड़	0.0600				
324	0.0300	बारानी 2	0.0300	0.12			
360	0.0200	बारानी 1	0.0200	0.12			
362	0.0300	बारानी 1	0.0300	0.18			
364	0.0400	बारानी 2	0.0400	0.16			
410	0.0400	बारानी 2	0.0400	0.16			
कूल खसरे -17	**2.0500**			**5.8600**			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - P
प्रतिलिपि सं. - 140612
दिनॉक व समय -16/Sep/2025 04:24:00 PM

पता - B
आईं.पी. - 10.70.244.252
नक़ल जारी करने का स्थान - नीम का थाना

यू.एस.एन - 23138137128401
https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=23138137128401

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - BRIESH.KUMAR@RAJASTHAN.GOV.IN
हस्ताक्षर दिनॉक व समय - 18/Jul/2019 02:01:00 PM

पद - तहसीलदार

पंजाब केसरी 07-08-2025

...शाला में सैकड़ों ... दलिया गुड़ भी खिलाया। ... कर कहा पौधे लगाने से ... में गाय रखनी चाहिए ... यादव, मनीषा, रेशमी

...रिपोर्ट के मुताबिक, ... के राधाकिशनपुरा निवासी राहुल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पुलिस को दी गई शिकायत में राहुल ने बताया कि तीन महीने पहले उसकी मां अस्पताल में भर्ती थीं। घर के हालात तंग थे, तभी पुराने जानकार शुभम ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ... और पासवर्ड दिया, जिसे विजेंद्र ने इस्तेमाल किया।

और फिर आया गेम का ट्विस्ट: 5-7 दिनों में ही विजेंद्र ने गेमिंग ऐप में 60 लाख रुपए जीत लिए। लेकिन जब कैश की डिमांड की गई, तो शिवम ने कहा -तुम पहले खुद पेमेंट कर दो, मैं बाद में कंपनी ... गया।

पुलिस एक्शन में, केस दर्ज: राहुल की शिकायत पर सीकर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस शिवम, राहुल और शुभम नामक युवकों की तलाश में जुटी है।

दर्शनों के लिए उमड़ा सैलाब

...मंदिर में सजाए ... की झांकी।

...हर के कई प्रमुख वैष्णव ... शाम ढलते ही मेले ... उत्पन्न हो जाता है और ... श्रद्धालु नर-नारी अपने बच्चों के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं।

राधावल्लभ मंदिर में सजी हरियाली झांकी

बांदीकुई 6 अगस्त (मुरलीधर): शहर के राधावल्लभ मंदिर में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राधावल्लभ महाराज की हरियाली झांकी सजाई गई। एकादशी कार्यक्रम में देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने भजन प्रस्तुत किए। महिलाओं ने भजनों पर नृत्य भी किया। बड़ी संख्या में लोग राधावल्लभ भगवान के दर्शन करने पहुंचे।

बैरी कैलेबॉट की नीमराणा में देश की तीसरी चॉकलेट फैक्ट्री शुरू

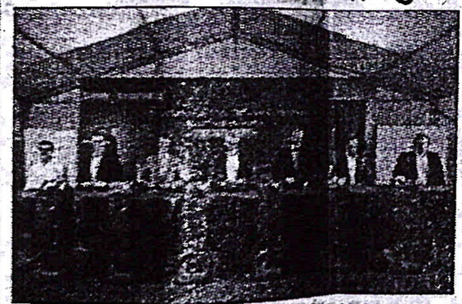

नीमराणा,6 अगस्त (ब्यूरो): बैरी कैलेबॉट ने विलोथ औद्योगिक क्षेत्र में देश की तीसरी चॉकलेट फैक्ट्री का शुभारंभ किया है। प्रेसिडेंट एमईए वामसी मोहन थाटी ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में कंपनी ने भारत में 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। देश में 400 से ज्यादा कर्मचारी उत्पादन नए विचारों और समर्थन सेवाओं के बढ़ते नेटवर्क के जरिए ग्राहकों की मदद करते हैं। नीमराणा में नई फैक्ट्री के साथ हम खाद्य उद्योग के साथ-साथ एमईए क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भरोसेमंद साझेदार बनने के वादे को दोहरा रहे हैं। बैरी कैलेबॉट इंडिया के प्रबंध निदेशक ध्रुव ज्योति सान्याल ने कहा कि भारत में हालांकि प्रति व्यक्ति चॉकलेट की खपत सालाना 200 ग्राम से कम है, लेकिन लोग अब प्रीमियम और उच्च.गुणवत्ता वाले चॉकलेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बैरी कैलेबॉट पिछले 18 से ज्यादा वर्षों से भारत में मौजूद है। जिसमें बारामती में दो मौजूदा कारखाने और मुंबई में एक कैलेबॉट चॉकलेट एकेडमी सेंटर शामिल हैं। हाल ही में बैरी कैलेबॉट ने हैदराबाद में ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज हब का उद्घाटन किया है।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001,
Ph.: 01572-248009, E-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

No. RPCB/RO Sikar/ SIK-PH-32/1143-1150 Date: 04/08/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 57, खसरा नम्बर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर मे प्रस्तावित चेजा पत्थर परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमे चेजा पत्थर जोकि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र 21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 57, खसरा नम्बर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2016 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, सीकर।
2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला- सीकर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
5. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर।
6. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, सीकर।
8. ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर, जिला- सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 12:15 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001,
Ph.: 01572-248009, E-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

No. RPCB/RO Sikar/ SIK-PH-30/1127-1134 Date: 04/08/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 58, खसरा नम्बर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर मे प्रस्तावित चेजा पत्थर परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमे चेजा पत्थर जोकि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र 21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 58, खसरा नम्बर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद मे मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2016 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण मे जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, सीकर।
2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला- सीकर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
5. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर।
6. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, सीकर।
8. ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर, जिला- सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 3:00 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर मे उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध मे लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर मे दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

8. ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, ...
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना ...
10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय ...
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ...

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जि... 2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा ... पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18... गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं ... आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सू... कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीक... कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा समय-स... सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी...

Regional Off...

Rajasthan State Polluti...

Shiv Singhpura Housing Board, Nawa...
Ph.: 01572-248009, E-mail: ror...

No. RPCB/RO Sikar/ SIK-PH-31/1135-1142

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक ...

विषय :- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नं... तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर प...

Regional...

Rajasthan State Pollu...

Shiv Singhpura Housing Board, N...
Ph.: 01572-248009, E-mail:...

No. RPCB/RO Sikar/ SIK-PH-029/1119-1126

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक ...

विषय :- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड प्लाट ... तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर मे प्रस्तावित चेजा पत्थर ...

राष्ट्रदूत 07-08-2025

मंच संचालन भाजपा युवा नेता कृष्ण भाकर ने किया। इस अवसर पर नगरपालिका के कर्मचारीगण जयंत सांगवान, दीपक, कालीचरण उपस्थित रहे। सभी ने नागरिकों से आव्हान किया कि वे अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराएं व स्वच्छता को अपनाएं और राष्ट्रहित में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्यख्याता प्रमोद कुमारी ने किया। सम्मान समारोह में जगदीश भास्कर पूर्व अध्यापक, ब्रजमोहन भास्कर, ईश्वर सिंह,रामकरण राजपाल , सुखदेव राम, फूलचंद, ताराचंद, नेमीचंद , प्यारेलाल भास्कर, रामस्वरूप भास्कर सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अनियमितताओं से युवाओं ...ाय : सांसद राहुल कस्वां

बजे तक रोका गया, जो उनकी सुरक्षा, गरिमा और मानसिक स्थिति पर सीधा हमला है। इन सभी कारणों के चलते युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ रहा है।

सांसद कस्वां ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही शिकायतों की लगातार उपेक्षा बाद उनको अपनी तैयारी छोड़ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन के लिये मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कठोर दमनात्मक कार्यवाही की गई और उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। एक परीक्षा में गड़बड़ी का मतलब है लाखों उम्मीदों का चकनाचूर हो जाना। अनेकों समस्याओं से जूझते हुए वर्षों से तैयारी करने वाले युवाओं के सपनों को सुनियोजित ढंग से कुचलने का प्रयास अत्यंत ही गंभीर मामला है।

सांसद कस्वां ने केन्द्र सरकार से इस विषय पर त्वरित संज्ञान स्वतंत्र तकनीकी जांच करवाने, निजी परीक्षा एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा करने, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित करनी की मांग की। उन्होंने कहा कि एसएससी जैसी संस्थाओं देश के युवाओं का भरोसा उठना अत्यंत ही गंभीर है। सरकार युवाओं की मांगों के अनुरूप तत्काल कड़े कदम उठाकर व्यवस्था को पारदर्शी बनाए।

पौधारोपण कार्यक्रम

झुंझुनूं, (निसं)। अलसीसर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में हरियाली राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

निविदा सूचना

निविदा क्रमांक BBC/PM/05 और BBC/PM/06 बाधनी बंधेज(टाई एंड डाई) क्लस्टर चूरू के अंतर्गत प्लांट मशीनरी के टर्नकी प्रोजेक्ट हेतु इच्छुक सप्लायर से निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 26.08.2025 सांय 5 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है, विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करे;
Https://ppdcagra.dcmsme.gov.in/Tender.html
Ashyana Sansthan Project Director

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-029/119-1126 Date 04.08.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 54, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमे चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 54, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर मे स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद मे मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को प्रातः 10:30 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध मे लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 56, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानो के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 1:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-32/1143-1150 Date 04.08.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 57, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर मे प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 57, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद मे मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम मे इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 12:15 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध मे लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: ropcb.sikar@gmail.com
RPCB/RO Sikar/SIK-PH-30/1127-1134 Date 04.08.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 58, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र-21.87836 हेक्टर, प्लाट नंबर 58, खसरा नंबर 1152/981, निकट ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स अन्हद मिनरेरियो प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंडल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला-सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षत्र जयपुर।
v महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii क्षेत्रीय प्रबंधक सीको, सीकर।
viii ग्राम पंचायत, मोकलवास, तहसील-नीमकाथाना, जिला-सीकर।
ix राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सीकर, जिला सीकर-।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 01.08.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.09.2025 (गुरुवार) को दोपहर 3:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोकलवास, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर